भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †4403
दिनांक 20.08.2025 को उत्तर देने के लिए

खनन प्रभावित क्षेत्रों के कल्याण के लिए डीएमएफ

†4403. श्री विष्णु दत्त शर्माः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार खनन प्रभावित क्षेत्रों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए, विशेषकर मध्य प्रदेश में, जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) को क्रियान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने खजुराहो लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के कटनी, पन्ना जिलों और खजुराहो शहर को डीएमएफ का लाभ प्रदान किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा फाउंडेशन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ) खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 की धारा 9ख में खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित देश के प्रत्येक जिले में जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना का प्रावधान है। डीएमएफ के अंतर्गत शुरू की गई विकासात्मक एवं कल्याणकारी परियोजनाएं/कार्यक्रम खनन कार्यकलाप प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों को लाभान्वित करते हैं। आज तक, देश भर के 23 राज्यों में कुल 646 डीएमएफ स्थापित किए जा चुके हैं।

मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य के कटनी, पन्ना और छतरपुर, जिसमें खजुराहो लोकसभा क्षेत्र का खजुराहो शहर भी शामिल है, सहित 53 खनन जिलों में डीएमएफ का गठन किया गया है। इन जिलों द्वारा डीएमएफ निधि के माध्यम से शुरू की गई परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	जिला	स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या	आवंटित कुल राशि (करोड़ रूपये में)	व्यय की गई कुल राशि (करोड़ रूपये में)
1	छतरपुर	17	46	38
2	कटनी	248	100	69
3	पन्ना	109	51	48

एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 20क के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) दिशानिर्देश 2015 जारी किए हैं और संबंधित राज्य सरकारों को डीएमएफ के लिए उनके द्वारा बनाए गए नियमों में इन दिशानिर्देशों को शामिल करने का निदेश दिया है। इसके अतिरिक्त, पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं के प्रभाव में सुधार लाने, कार्यान्वित परियोजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने और पीएमकेकेकेवाई योजना संबंधी सुझावों के दायरे को व्यापक बनाने के लिए, केंद्र सरकार ने जनवरी 2024 में संशोधित पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों की कुछ प्रमुख विशेषताओं में डीएमएफ निधियों का कम से कम 70% उपयोग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों और उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में करने तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा डीएमएफ खातों की अनिवार्य लेखापरीक्षा करना शामिल है।

*****